POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.07.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कम्पनी का डाटा चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन व कूटरचित दस्तावेज बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.07.2025** को **थाना साइबर क्राइम** पुलिस द्वारा संकलित अभिसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वादी की कम्पनी से डाटा चोरी करने वाला अभियुक्त हवा सिंह पुत्र चतर सिंह को हरियाणा राज्य के हिसार जिले से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज व 04 विजिटिंग कार्ड बरामद किये गये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड कम्पनी का डाटा अनाधिकृत रूप से चोरी कर कम्पनी से जुड़े ग्राहकों को कॉल करके घरेलू सामान को ट्रान्सपोर्ट करने की बात बताकर धोखाधड़ी से कम्पनी को क्षति पहुंचाई गई, के आधार पर दिनांक 18-06-2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पूर्व में APML कम्पनी में कार्य करता था, बाद में स्वयं का पैकर्स एंड मूवर्स का कार्य करने लगा। अभियुक्त द्वारा वेबसीरीज देखकर कम्पनी का डाटा चुराने के बारें में सीखा गया एवं बाद में APML कम्पनी के ऐप की लॉग-इन आईडी व पासवर्ड को क्रेक कर कम्पनी का डाटा चुराया गया। अभियुक्त द्वारा कम्पनी का कर्मचारी बनकर ग्राहकों से कॉल के माध्यम से बात कर कम्पनी के कार्य को प्रभावित किया गया एवं कम्पनी को क्षति पहुंचाई गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

हवा सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी आदमपुर, जिला हिसार (हरियाणा)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 59/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/238 बीएनएस व 66/66सी/66डी/72 आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।
2. कूटरचित दस्तावेज व 04 विजिटिंग कार्ड।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु

1. अपना पासवर्ड सदैव स्ट्रांग रखिए।
2. पासवर्ड अल्फा, न्यूमेरिक होना चाहिए और उसमें स्पेशल करैक्टर का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए।
4. अपना पासवर्ड अपनी डायरी में नही लिखना चाहिए।
5. अपने नाम, परिजनों का नाम, व्हीकल नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि को पासवर्ड के रूप में प्रयोग न करें।
6. एक ही पासवर्ड को अलग-अलग पोर्टल, साइट्स व अन्य प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल न करें।
7. किसी भी कम्पनी के टोल फ्री अथवा हेल्पलाइन नम्बर के लिए गूगल सर्च का प्रयोग न करें, यदि गूगल सर्च का प्रयोग करें तो केवल अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए टोल फ्री अथवा हेल्पलाइन नम्बर का ही प्रयोग करें।
8. यदि कोई भी साइबर अपराधी किसी कम्पनी का नाम लेकर के आपसे संपर्क करता है, तो उसकी बातों पर विश्वास न करके कम्पनी के टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के बाद जब यह विश्वास हो जाए कि कॉल करने वाला व्यक्ति कम्पनी से ही कॉल कर रहा है, तब ही कोई सूचना साझा की जानी चाहिए।

2. थाना बिसरख पुलिस व टप्पेबाज बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

विवरण-- दिनांक **31.07.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा चिपियाना बुजुर्ग टी प्वाइंट पर चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर चिपियाना बुजुर्ग की ओर भगाने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर एक पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को कम्पनी के पीछे की तरफ मोड़ दिया, मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने सामने से दूसरी पुलिस टीम को आता देखकर हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस टीम से घिरता देख, पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान अजय उर्फ टिंकू पुत्र रामनिवास निवासी मौहल्ला बाल्मिकी, कस्बा व थाना भुना, फतेहाबाद (हरियाणा) के रूप में हुई है। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट व 5000 रुपए नगद बरामद किये गये है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- घायल अभियुक्त अजय उर्फ टिंकू से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथी लोकेश मिश्रा, पवन कुमार, संजीव कुमार के साथ मिलकर दिनांक 01.07.2025 को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत चेरी काउण्टी पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसके संबंध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत किया गया था व अभियुक्त लोकेश मिश्रा, पवन कुमार, संजीव कुमार को दिनांक 05.07.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अभियुक्त अजय उर्फ टिंकू एक अन्तर्राज्यीय अपराधी है, जिसके विरुद्ध हरियाणा राज्य में कई मुकदमें पंजीकृत है।

अभियुक्त अजय उर्फ टिंकू का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 056/2012 धारा 148/149/323 भादवि, थाना सिटी फतेहाबाद,फतेहाबाद (हरियाणा)।
2. मु0अ0सं0- 133/2019 धारा 147/148/149/427 भादवि, थाना सिटी फतेहाबाद,फतेहाबाद (हरियाणा)।
3. मु0अ0सं0- 283/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना सिटी फतेहाबाद,फतेहाबाद (हरियाणा)।
4. मु0अ0सं0- 038/2024 धारा 392/201/120बी भादवि, थाना सिटी फतेहाबाद,फतेहाबाद (हरियाणा)।
5. मु0अ0सं0- 470/2025 धारा 316(2)/317(2) बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।